

प्रेषक,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 2- उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 3- अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2015

विषय : वन टाईम सेटलमेंट योजना (ओ०टी०एस० योजना-2002) की समय-सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-3367/आठ-1-11-01विविध/2000 दिनांक 29.11.11 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ०टी०एस० योजना की अवधि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिनों के लिए निर्धारित की गयी थी। पुनः शासनादेश संख्या-280/आठ-1-13-01विविध/2000 दिनांक 24.01.13 द्वारा ओ०टी०एस० योजना की समय-सीमा दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ायी गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०टी०एस० योजना, 2002 की समय-सीमा दिनांक-31.03.2013 से 31.03.2016 तक बढ़ायी जाती है। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से प्रश्नगत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3- वन टाईम सेटलमेंट योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-3367/आठ-1-11-01विविध/2000 दिनांक 29.11.2011 में विहित प्राविधान यथासंशोधन लागू रहेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

10/8/15.

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० शासन।
- (2) महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी विकास प्राधिकरणों/परिषदों में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
- (3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- (5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,
आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | |
|---|---|
| 1. आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ। | 2. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश। |
| 3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश। | |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 29 नवम्बर, 2011

विषय : वन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ०टी०एस० योजना, 2002) का संचालन।

महोदय,

आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों तथा नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु वन टाईम सेटेलमेंट योजना, 2002 के संचालन के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 3201/9-आ-1-02-1वि०/2000 दिनांक 12.08.02 एवं पत्र सं० 4620/9-आ-1-02-1वि०/2000 दिनांक 30.10.02 निर्गत किये गये थे। उक्त योजना की समय-सीमा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है।

2. विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में अनाच्छादित व्यावसायिक सम्पत्तियों, नीलामी के आधार पर आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्राधिकरणों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी बड़ी संख्या में इन सम्पत्तियों के आवंटी भुगतान में डिफाल्टर हैं, जिसके कारण प्राधिकरणों/परिषद के बकाये की वसूली अवरुद्ध है। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12.08.02 एवं दिनांक 30.10.02 में आंशिक संशोधन करते हुए इन सम्पत्तियों के डिफाल्टर आवंटियों के प्रकरणों को विनियमित करने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए निम्नवत् लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(अ) आवंटियों के लिए निर्धारित श्रेणी

- (i) ओ०टी०एस० योजना को समस्त प्रकार की आवासीय सम्पत्तियों पर लागू किया जाय, चाहे वे आवंटन पद्धति से आवंटित हों या नीलामी पद्धति से।
- (ii) आवासीय सम्पत्तियों चाहें वह किराया क्रय पद्धति पर हों या किश्तों पर हों अथवा One Time (Cash Down Payment Mode) पर हों, सभी पर ओ०टी०एस० योजना लागू की जाय।
- (iii) ग्रुप हाउसिंग की सम्पत्तियों पर ओ०टी०एस० लागू किया जाय।
- (iv) समस्त प्रकार की सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों पर ओ०टी०एस० लागू किया जाय, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार व सरकारी उपक्रमों को आवंटित सम्पत्तियों भी सम्मिलित होंगी।
- (v) विभिन्न प्रकार के स्कूल भूखण्डों एवं चैरीटेबल संस्थाओं आदि को रियायती दर पर आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओ०टी०एस० लागू किया जाय।

0/e

- (vi) समस्त प्रकार की व्यवसायिक सम्पत्तियों, चाहे नीलामी द्वारा अथवा अन्य पद्धति से आवंटित, पर भी लागू किया जाय।
- (vii) सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों पर भी ओटीएस लागू किया जाय।

(ब) सिद्धान्त

- (1) ओटीएस योजनान्तर्गत सभी डिफाल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज, जो सम्पत्ति के आवंटन के समय किश्तों के निर्धारण पर लागू ब्याज दर के बराबर होगा, लिया जायेगा।
- (2) आवंटियों से किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज नहीं लिया जायेगा। डिफाल्ट की अवधि का ब्याज उपरिलिखित सिद्धान्त (1) के अनुसार लिया जायेगा।
- (3) आवंटी द्वारा किये गये भुगतान को सर्वप्रथम डिफाल्ट की अवधि तक के ब्याज, ओटीएस आधार पर आगणित ब्याज तदोपरान्त बकाया मूल धनराशि के सापेक्ष समायोजित किये जायेंगे।
- (4) ओटीएस योजना में गणना के उपरान्त यदि अधिक जमा (Surplus) धनराशि आती है, तो उस धनराशि का समायोजन रजिस्ट्री सम्बन्धी अन्य व्ययों जैसे - फ्री होल्ड चार्ज, वाटर सीवर चार्ज एवं अन्य व्ययों में किया जा सकेगा। इनके बचत की यदि Surplus धनराशि बचती है, तो उसे वापस नहीं किया जायेगा।

(स) ओटीएस हेतु प्रोसेसिंग फीस

क्र. सं.	सम्पत्तियों का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस (रु०)	ओटीएस आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली प्रारम्भिक धनराशि (रु०)	
1	ई.डब्ल्यू.एस. भवन/भूखण्ड	100	5,000	ओटीएस आवेदन पत्र के साथ जमा की जाने वाली धनराशि आगणित लागत/देय धनराशि में समायोजित हो सकेगी। परन्तु प्रोसेसिंग फीस ओटीएस का मात्र शुल्क है, इसे किसी भी देय धनराशि में समायोजित न किया जाय।
2	एल.आई.जी. भवन/भूखण्ड	500	10,000	
3	अन्य श्रेणी की आवासीय एवं मिक्सड लैण्डयूज की सम्पत्तियों तथा व्यावसायिक निर्मित दुकानों व दुकानों के भूखण्डों पर	1000	25,000	
4	ग्रुप हाऊसिंग	5,000	1,00,000	
5	संस्थागत सम्पत्तियाँ	5,000	1,00,000	
6	क्रम संख्या-3 के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसायिक सम्पत्तियों पर	5,000	1,00,000	

(द) पूर्व में ओटीएस आवेदन देने की कट ऑफ डेट के बाद विलम्ब शुल्क के आधार पर ओटीएस सुविधा दिये जाने की प्रणाली को समाप्त करते हुए ओटीएस आवेदन पत्र देने के लिए इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि निर्धारित की जाती है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। निर्धारित 90 दिन की अवधि के पश्चात यदि जिन प्रकरणों में ओटीएस का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे डिफाल्टरों की सूची बनाते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाय।

01e

(य) ओ0टी0एस0 आवेदन पत्र जमा करने की तिथि वह मानी जायेगी, जिस तिथि को आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस तथा प्रारम्भिक धनराशि जारी कर दी गयी हो। ओ0टी0एस0 आवेदन पत्रों को प्राप्त करने हेतु अलग रजिस्टर रखा जायेगा, जिस पर दर्ज कर मोहर सहित प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(र) ओ0टी0एस0 आवेदनों के निस्तारण के लिए अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन किया जाता है।

(ल) पूर्व में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ओ0टी0एस0 में आगणित धनराशि को 02 किशतों में जमा करना होता था और पहली किशत जमा होने में विलम्ब की दशा में ओ0टी0एस0 की सुविधा समाप्त कर दी जाती थी। अब निम्नवत संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(1) वॉछित धनराशि का 1/2 भाग मांग पत्र के Date of Dispatch से 30 दिन के अन्दर और अवशेष 1/2 भाग 60 दिन के अन्दर जमा करना होगा।

(2) यदि कोई आवंटी 30 दिन के अन्दर 1/2 धनराशि जमा न करके 30 दिन के बाद और 60 दिन के पहले सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देता है, तो भी उसे ओ0टी0एस0 का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु 30 दिन के बाद विलम्ब की अवधि हेतु 15 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

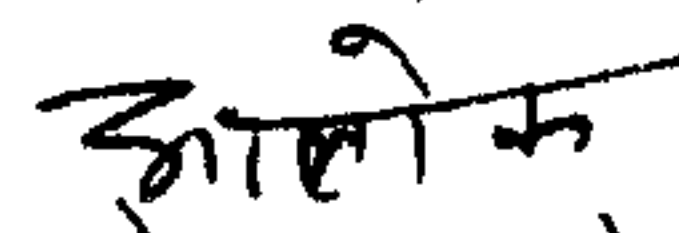
(व) ओ0टी0एस0 आवेदन-पत्र के साथ आवेदक से 2 Self Addressed व Stamped लिखे हुए लिफाफे मांगे जायं, जिससे गलत पते पर पत्र भेजने की शिकायतें न प्राप्त हों। इन्हीं लिफाफों में ओ0टी0एस0 गणनाशीट भेजी जायेगी।

(स) ओ0टी0एस0 गणना करने के उपरान्त वॉछित धनराशि जमा करने की सूचना आवंटी द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से भी दी जायेगी।

3. इस योजना का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

4. ओ0टी0एस0 योजना, 2002 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 एवं दिनांक 30.10.02 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

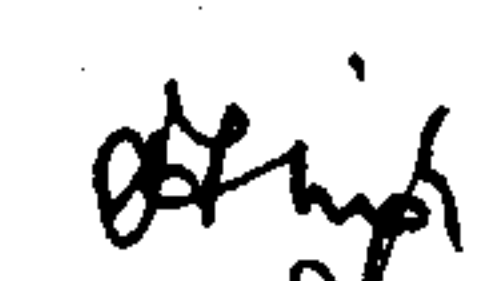
कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/परिषद में सब-रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को एवं जनमानस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव